भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3305

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट"

3305. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर लगाने के बारे में जीएसटी परिषद के रुख का ब्यौरा कया है;
(ख) 100 से अधिक वस्तुओं पर प्रस्तावित दर परिवर्तन का उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;
(ग) टर्म-लाइफ इंश्योरेंस और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से छूट देने से अनुमानित राजस्व हानि कितनी होगी;
(घ) सरकार संभावित राजस्व हानि की भरपाई किस प्रकार करेगी;
(ङ) क्या स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर वरिष्ठ नागरिकों जैसी कुछ श्रेणियों के लिए कम की गई है या छूट दी गई है;
(च) कलाई घड़ी और जूतों पर प्रस्तावित कर परिवर्तन किस प्रकार घरेलू निर्माताओं को प्रभावित करेंगे;
(छ) जीएसटी परिषद के निर्णयों के कब तक लागू होने की संभावना है;
(ज) मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है;
(झ) 22,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व किस आधार पर आवंटित किया जाता है; और
(ञ) क्या सरकार निर्माताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए परांठा आदि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों पर पुनर्विचार करेगी?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) **:** जीएसटी की दरें और छूटें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर जीएसटी मानक दर, अर्थात 18 प्रतिशत पर लगाया जाता है। समाज के दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाली विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को जीएसटी से छूट दी गई है।

जीवन बीमा सेवाओं पर भी जीएसटी मानक दर, अर्थात 18 प्रतिशत पर लगाया जाता है।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 32(4) में जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में अपनाए जाने वाले मूल्यांकन का प्रावधान है। जीवन बीमा पॉलिसियों में भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम दो भागों का प्रतिनिधित्व करता है – जोखिम कवरेज और बचत। जीएसटी केवल प्रीमियम के जोखिम वाले हिस्से पर लगता है, बचत वाले हिस्से पर नहीं, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

परिस्थिति	कर योग्य सेवा का मूल्यांकन
ऐसी पॉलिसियाँ जहाँ निवेश/बचत की राशि, सेवा की आपूर्ति के समय, पॉलिसीधारक को सूचित की जाती है	निवेश/बचत के लिए आवंटित राशि द्वारा कम किया गया सकल प्रीमियम, जैसा कि सूचित किया गया है
टर्म जीवन बीमा पॉलिसियाँ (केवल जोखिम तत्व के साथ)	पूर्ण मूल्य
उपर्युक्त के अलावा एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसियाँ	प्रभारित एकल प्रीमियम का 10% (प्रभावी दर 1.8% हो जाती है)
अन्य सभी मामलों में	पहले वर्ष में प्रीमियम का 25% (प्रभावी दर 4.5%) और बाद के वर्षों में प्रीमियम का 12.5% (प्रभावी दर 2.25%)

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री वय वंदन योजना आदि जैसी विशिष्ट योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं।

इसके अलावा, पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित सभी बीमा योजनाएं, जैसे कि आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, को भी जीएसटी से छूट दी गई है।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी का मुद्दा 09 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के समक्ष रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्री समूह ने अभी तक जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।

(ख) : जीएसटी परिषद ने 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह ने अभी तक जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।

(ग) : राजस्व हानि जीएसटी दर में कमी या छूट पर निर्भर करती है। दर में कमी या छूट के लिए किसी सिफारिश के अभाव में राजस्व हानि का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) : उपरोक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में विवरण दिया गया है।

(च) : उपरोक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(छ) : उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ज) : 09 सितंबर, 2024 को आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रिसमूह को अक्टूबर 2024 के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।

28 जून, 2022 को आयोजित जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में, दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह ने शेष विचारार्थ विषयों पर विचार-विमर्श पूरा करने और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का विस्तार मांगा था।

(झ) : उपरोक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) : जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद की ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

*****